परीक्षा में नाकाम

साभार : इंडियन एक्सप्रेस (05 सितंबर, 2017)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शिक्षा, शासन व्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण है।

तमिलनाडु में एस.अनिता की आत्महत्या ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा (एनईटीटी) पर मेडिकल और डेंटल कॉलेजों पर बहस को फिर से शुरू कर दिया है, जो कई पाठ्यक्रमों, अध्यापन और शिक्षा के साथ एक राष्ट्र में क्षेत्र को समस्त स्तर के साथ समान रखने में आ रही कठिनाइयों का एक अनुस्मारक है। देखा जाये तो तमिलनाडु केंद्रीय बोर्ड द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा का विरोध करने वाले राज्यों में सबसे अग्रणी था, जिसने अपने पक्ष में यह तर्क दिया था कि इस परीक्षा का पाठ्यक्रम राज्य बोर्डों से काफी अलग है, जिससे इस राज्य के छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। छात्रों ने परीक्षा के लिए केवल अंग्रेजी और हिंदी में ही पेशकश की थी, जिसे अनसुना कर दिया गया। इस वर्ष, क्षेत्रीय भाषाओं में तमिल को भी शामिल किया गया, लेकिन छात्रों ने शिकायत की कि अंग्रेजी और हिंदी में आये प्रश्न अन्य भाषाओं की तुलना में काफी मुश्किल थे। निश्चित तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि सुधार के उद्देश्य अपनाया गया, यह उपाय कई नवीन असमानताओं का जन्म दाता है।

देखा जाये तो सरकार ने पहले तो तमिलनाडु असेंबली की मांग का समर्थन किया था कि नीट की परीक्षा को तमिलनाडु से अलग रखा जाए लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो केंद्र सरकार ने अपना रूख ही बदल दिया और सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु की पेटिशन को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को नीट के आधार पर मेडिकल में दाखिला शुरू करने का आदेश दिया था। यह फैसला तमिलनाडु के अध्यादेश को केंद्र से मंजूरी नहीं मिलने के बाद आया था। इसमें राज्य के छात्रों को नीट से एक साल की छूट देने की मांग की गई थी। साथ ही कुछ विशेषज्ञों का भी मानना है कि राज्यों की सहमति के बगैर केंद्र नीट को किस प्रकार लागू करने की योजना बना रही है।

भारत का शिक्षा का नक्शा हमेशा अराजक रहा है, कई पाठ्यक्रमों द्वारा यह चिह्नित भी किया गया है और शिक्षा प्रणाली बेहतर स्तर तक पहुंच पाने में हमेशा संघर्षरत रही है। 20 वीं शताब्दी में, केंद्रीय बोर्ड आमतौर पर अपने छात्रों को अनौपचारिक रूप से सकारात्मक अंक प्रदान कर देता था, जो कम अंकन की परंपरा के लिए जाना जाता था, जिसका विरोध पश्चिम बंगाल (एनईईटी के विरोध में एक अन्य राज्य) ने भी की थी। आम परीक्षणों की आवश्यकता भी इसी मान्यता के आधार पर हुई थी कि सभी स्कूल बोर्ड समान रूप से अपने छात्रों को अंक नहीं देते हैं। मेडिकल प्रवेश परीक्षा एक विशेष मामला था, क्योंकि छात्रों की गुणवत्ता का देश के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है या पड़ेगा। स्कूल पाठ्यक्रम और परीक्षकों की अपेक्षाओं के बीच व्याप्त अंतर ने अपनी असमानताओं को पेश किया है। जहाँ कई कोचिंग की दुकानें इस अंतर को भरने के लिए पहुंचे, लेकिन अतिरिक्त ट्यूशन तक पहुंच असमान है और अगर दैनिक वेतन मजदूर की बेटी एस. अनीता की बात की जाए तो निश्चित रूप से ये इस सुविधा का लाभ उठा पाने में असमर्थ थीं और एक याचिकाकर्ता के रूप में, वह विरोध का बस मानवीय चेहरा बन कर रह गई।

एनईईटी को उत्कृष्ट इरादों के साथ स्थापित किया गया था, ताकि शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोका जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि उम्मीदवार दवा और दंत चिकित्सा में मांग पाठ्यक्रमों के बराबर हैं, जिसका वे स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों के लिए आवेदन करते हैं। निजी मेडिकल कॉलेजों के प्रसार ने उम्मीदवारों को एक सीट पर अपना रास्ता मुहैया कराने के लिए संभव बना दिया था और अत्यधिक लागत ने शोध और गुणवत्ता पर ध्यान देने के बजाय निवेश की वसूली पर अपना ध्यान केंद्रित किया है, विशेषकर उन छात्रों के लिए जो योग्य नहीं है। और फिर भी, दोहराए गए विरोध और चुनौतियां जो एनईईटी ने महसूस की हैं, यह दर्शाता है कि पहुंच के असमानता को खत्म करना सही मायने में कितना मुश्किल होगा। एक सामान्य प्रवेश परीक्षा वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ योग्यता की सर्वोच्चता की गारंटी देती है। लेकिन यह केवल तभी काम कर सकता है जब राज्य के पाठ्यक्रम में कम से कम विज्ञान विषय में होने वाले प्रवेश परीक्षाएं मानक स्तर पर हो जो न्यायसंगत सुधार की ओर पहला कदम भी होगा।

प्रमुख संबंधित तथ्य

हाल के वैश्विक अध्ययन

- न्यूयॉर्क के 'पी.ई.यू. रिसर्च सेंटर' द्वारा विश्व के 90 से अधिक देशों में स्कूली शिक्षा मानकों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। यह अध्ययन 'विश्व में धर्म एवं शिक्षा' नाम से किया गया। यह दुनिया के प्रमुख धर्मों के बीच शैक्षिक प्राप्ति पर केंद्रित है। इसमें हिंदुओं में शैक्षिक प्राप्ति का स्तर सबसे कम पाया गया और भारतीय विद्यालयी शैक्षणिक व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे निम्न स्थान प्रदान किया गया। दूसरी तरफ औसत स्कूली वर्ष के संदर्भ में देखा जाए तो ईसाई धर्म में 9.3 वर्ष, बौद्ध धर्म में 7.9 वर्ष है, जबकि मुस्लिम एवं हिंदू धर्म में औसत स्कूली वर्ष 5.6 वर्ष है, जोकि वैश्विक औसत 7.7 वर्ष से काफी कम है।
- इसी प्रकार का अध्ययन हार्वर्ड विश्वविद्यालय और कोरिया विश्वविद्यालय के आर.जे. बैरो द्वारा वर्ष 2011 में किया गया था और उसनें भी लगभग इसी प्रकार का निष्कर्ष निकला था।
- पीसा (PISA), जोकि यूरोप में अपनाया जाने वाला माप मानक है, ने भारतीय स्कूलों की गुणवत्ता का अध्ययन किया। इसके द्वारा किये गए 110 देशों के अध्ययन में भारत को नीचे से दूसरी रैंक प्रदान की गई, जो भारतीय शिक्षा की निराशाजनक स्थिति को दर्शाता है।
- प्रथम' एन.जी.ओ. की 'वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट' के द्वारा वर्ष 2014 में किये गए मूल्यांकन में क्लास-III के सभी बच्चों का 75 प्रतिशत, कक्षा-V का 50 प्रतिशत और कक्षा आठवीं के 25 प्रतिशत बच्चे कक्षा-II की पुस्तक पढ़ने में असमर्थ पाए गए। यह भी पाया गया कि सरकारी स्कूलों में कक्षा-ट के सभी बच्चों में पढ़ने के स्तर में वर्ष 2010 से वर्ष 2012 के बीच गिरावट देखी गई।
- वर्ष 2015 के 'राष्ट्रीय सर्वेक्षण नमूना' के परिणामों में भी माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी को सीखने की क्षमता में भारी गिरावट दर्ज की गई।
- दिल्ली में हुए एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि शहर के केवल 54 प्रतिशत बच्चे ही कुछ वाक्य पढ़ सकते हैं।

सकारात्मक पक्ष

- अनेक अध्ययनों से यह साबित हो चुका है कि विश्व में सीखने की दृष्टि से भारतीय बच्चे किसी अन्य देश से आगे हैं। उदाहरणस्वरूप अमेरिका में भारतीय अमेरिकी सबसे ज्यादा शिक्षित समुदायों में से एक हैं।

समस्या

- मुख्य समस्या शासन की गुणवत्ता में कमी मानी गई है।
- शिक्षा प्रणाली समावेशी नहीं है।
- शिक्षक प्रबंधन, शिक्षक की शिक्षा और प्रशिक्षण, स्कूल प्रशासन और प्रबंधन के स्तर पर कमी।
- पाठ्यक्रमों में व्यावहारिकता की कमी।
- स्कूल स्तर के आँकड़ों की अविश्वसनीयता।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये किये गए प्रावधानों को लागू न किया जाना।
- शिक्षा के अधिकार अधिनियम को जमीनी स्तर पर लागू न किया जाना इत्यादि।
- अवसंरचना का अभाव।
- शिक्षा संस्थानों की खराब वैश्विक रैंकिंग।
- प्रदान की गई शिक्षा और उद्योग के लिये आवश्यक शिक्षा के बीच अंतर।
- महंगी उच्च शिक्षा।
- लैंगिक मुद्दे।
- भारतीय बच्चों के लिये आधारभूत सुविधाओं की कमी।

समाधान

- शिक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना।
- शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- सरकारी खर्च को बढ़ाना।
- समावेशी शिक्षा प्रणाली पर जोर देना।
- गुणवत्ता की शिक्षा को बढ़ावा देना।
- शिक्षा क्षेत्र में ढाँचागत विकास हेतु 'पीपीपी मॉडल' को अपनाना।
- समावेशी शिक्षा नीति का निर्माण करना।

सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदम

- सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने हेतु 'टी.आर. सुब्रह्मण्यम समिति' का गठन किया गया था। समिति ने शिक्षा क्षेत्र के लिये एक नया सिविल सर्विस कैडर बनाने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का उन्मूलन, कक्षा-V तक निरोधक नीति जारी रखना और प्राथमिक विद्यालय स्तर पर अंग्रेजी की शिक्षा देने जैसे अनेक महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये थे। इस समिति के प्रावधानों को सरकार द्वारा अभी तक लागू नहीं किया गया है।
- सरकार ने हाल ही में भारतीय शिक्षा नीति को तैयार करने के लिये 'के. कस्तूरीरंगन समिति' का गठन किया। इस समिति का प्रमुख कार्य भारतीय शिक्षा व्यवस्था को समकालीन बनाने, उसकी गुणवत्ता में सुधार करने, शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण तथा विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में प्रवेश जैसे कई महत्त्वपूर्ण प्रावधानों पर रोडमैप तैयार करना है।

संभावित प्रश्न

अभ्यर्थियों के अच्छे भविष्य के लिए और अच्छे इरादों के बावजूद एनईईटी पूरे देश में शिक्षा के स्तर को बेहतर बना पाने में नाकाम रही है। इस कथन के सन्दर्भ में देश की शिक्षा व्यवस्था में विद्यमान कमियों को उजागर कीजिए तथा इन कमियों को दूर करने हेतु उचित समाधानों की व्याख्या कीजिये।

705, IInd Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, New Delhi - 110009
Ph.: 011 - 27658013, 9868365322